न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 66/2016

CIS Reg. No. – **CRI. CASE/1292/2016**

CNR No. : **RJJH020002972016**

राजस्थान राज्य बनाम तेजपाल सिंह नूनियां वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 199/2012, पुलिस थाना सूरजगढ़

अपराध अन्तर्गत धाराः 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	लालचन्द काजला पुत्र दल्लूराम, निवासी हरीपुरा, पुलिस थाना सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. तेजपाल सिंह नूनियां पुत्र स्व. प्रहलादराय, (**दिनांक 07.11.2019 को कार्यवाही उपशमित**) 2. महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 3.सुरेन्द्र सिंह नूनियां पुत्र स्व. प्रहलादराय, निवासीगण नूनियां गोठड़ा, थाना बगड़, जिला झुंझुनूं हाल निवासी मकान नम्बर बी 122 गंगासागर कॉलोनी, वैशाली नगर, पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर **(दिनांक 16.11.2022 को कार्यवाही उपशमित)**
राज्य की ओर से	श्री राजपाल महला, अभियोजन अधिकारी
अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार	श्री अशोक शर्मा

Authenticated Document

B

अपराध की दिनांक	दिसम्बर 2008 के पश्चात
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	15.08.2012
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	14.01.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	02.08.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	27.10.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	18.03.2026
निर्णय दिनांक	25.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	---

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	महेश कुमार	22.11.2015	15.06.2020	420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता 3/4,5,6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978	दोषमुक्त	--	--

<u>भाग-द्वितीय</u>

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची</u>

अ-अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	लालचन्द	ताईद एफआईआर व बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 2	पूनम	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 3	रणवीर	ताईद फर्द जब्ती बॉण्ड
पी.डब्ल्यू. 4	अशोक कुमार	ताईद फर्द जब्ती बॉण्ड
पी.डब्ल्यू. 5	जयप्रकाश	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 6	महेश कुमार	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 7	मायावती	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 8	पितरपाल	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 9	लियाकत अली	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू. 10	अनिता	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी

Authenticated Document

पी.डब्ल्यू. 11	पूनम देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 12	सुमन कुमारी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 13	मनोहरलाल	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 14	शीशराम	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 14	सुरेन्द्र कुमार	ताईद फर्द जब्ती सीडी
पी.डब्ल्यू 16	खेमचन्द	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 17	अंकित	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 18	किशोर देवी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 19	विजय सिंह	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 20	रमाकांत	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डबलयू 21	बनारसी	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 22	दिनेश कुमार	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 23	गणेशनाथ	ताईद हालात तफ्तीश
पी.डब्ल्यू 24	सज्ञना	ताईद बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 25	भंवरलाल सिसोदिया	ताईद हालात तफ्तीश

नोटः–प्रकरण में सहवन से गवाह शीशराम एवं सुरेंद्र कुमार के बयानों पर एक ही क्रमांक पी.डब्ल्यू. 14 अंकित हो गया है।

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	परिवाद
02	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 03	डाक रसीद

04	प्रदर्श पी 04	फर्द जब्ती चार बॉण्ड
05	प्रदर्श पी 05 लगायत 08	चार बॉण्ड क्रमशः संतोष, पूनम, राजेश व लालचन्द
06	प्रदर्श पी 09	गवाह लालचन्द के बयान धारा 161 सीआरपीसी
07	प्रदर्श पी 10	गवाह पूनम के बयान धारा 161 सीआरपीसी
08	प्रदर्श पी 11	गवाह पितरपाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी
09	प्रदर्श पी 12	गवाह मनोहरलाल के बयान धारा 161 सीआरपीसी
10	प्रदर्श पी 13	गवाह शीशराम के बयान धारा 161 सीआरपीसी
11	प्रदर्श पी 14	फर्द जब्ती सीडी
12	प्रदर्श पी 15 लगायत 18	प्रतिलिपि बॉण्ड
13	प्रदर्श पी 19	गवाह अंकित के बयान धारा 161 सीआरपीसी
14	प्रदर्श पी 20	गवाह रमाकांत के बयान धारा 161 सीआरपीसी
15	प्रदर्श पी 21	गवाह बनारसी के बयान धारा 161 सीआरपीसी
16	प्रदर्श पी 22	गवाह दिनेश कुमार के बयान धारा 161 सीआरपीसी
17	प्रदर्श पी 22 ए	मान्यता के दस्तावेज मय सेंटर लिस्ट व इन्फ्रास्ट्रक्चर
18	प्रदर्श पी 23	कम्पनी से जुड़े हुए लोगों का रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति
19	प्रदर्श पी 24	विधान नियमावली की प्रमाणित प्रति
20	प्रदर्श पी 25	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त महेश कुमार
21	प्रदर्श पी 26	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त तेजपाल सिंह

नोटः– पत्रावली में सहवन से गवाह दिनेश कुमार के बयान 161 सीआरपीसी एवं मान्यता के दस्तावेज पर एक ही प्रदर्श पी 22 अंकित किया जा चुका है।

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

–निर्णय–

Authenticated Document

दिनांकः– 25 मार्च, 2026

1. प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्त तेजपाल एवं सुरेंद्र की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 07.11.2019 एवं 16.11.2022 को दाण्डिक कार्यवाही उपशमनित की जा चुकी है। प्रकरण में अभियुक्त महेश कुमार की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.07.2012 को परिवादी लालचन्द ने विपक्षीगण सुरेन्द्र कुमार मान, इन्द्रा देवी व तेजपाल नूनियां के विरूद्ध एक परिवाद न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादी व अभियुक्तगण नम्बर 1 व 2 की आपस में जान पहचान होने के कारण अभियुक्तगण नम्बर 1 व 2 का अभियोगी के यहां पर आना जाना था तथा माह दिसम्बर, 2008 में अभियुक्तगण नम्बर 1 व 2 एक राय होकर अभियोगी के पास अभियोगी के घर पर आकर मिले तथा अभियुक्तगण नम्बर 1 व 2 ने अभियोगी से रूपए ऐंठने व अभियोगी के साथ धोखाधड़ी करने की नियत से अभियोगी को बताया कि अभियक्त नम्बर 3 ने प्रिया होम स्टडी प्रा०लि० नामक एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कम्पनी खोल रखी है जिसे ज्वाईन कर के लाखों रूपए कमाए जा सकते हैं व कहा कि वे स्वयं उक्त कम्पनी के सदस्य है तथा अभियुक्त नबर 3 के साथ मिलकर कार्य करते हैं। उक्त कम्पनी में ज्वाइनिंग करने के लिए अभियोगी को 11,800 रूपये अभियुक्तगण को देने होंगे तथा कम्पनी ज्वाइनिंग करने के कुछ माह पश्चात अभियोगी को एक मोटरसाईकिल व एक मारूति कार व प्रत्येक माह पश्चात कमीशन के रूप में रूपये प्राप्त होंगे व दो वर्ष पश्चात दी गई रकम के चार गुना राशी प्राप्त होगी। अभियुक्तगण ने अभियोगी को झांसा देने की नियत से व अभियोगी की रकम हड़पने की नियत से अपनी कम्पनी के अनेक प्लान पुनः समझाये तथा कम्पनी के सदस्य ज्वाइनिंग

फीस 47,200/– रूपये अभियुक्तगण को एक मुश्त अपनी पत्नी संतोष, पुत्र राजेश व पुत्रवधु सुमन के अदा कर दिये। अभियोगी समय–समय पर अभियुक्तगण से मिला व उनको दी गई रकम वापस लौटाने हेतु कहा तो अभियुक्तगण चक्कर कटवाते रहे। अभियुक्तगण ने धोखाधड़ी कर परिवादी की राशी हड़प ली है। उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस थाना, सूरजगढ़ को भिजवाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2012 अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण तेजपाल सिंह नूनियां, सुरेन्द्र कुमार एवं महेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में न्यायालय में पेश किया गया।

3. पत्रावली न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी से अंतरित होकर दिनांक 22.01.2016 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

4. अभियुक्तगण तेजपाल सिंह नूनियां, सुरेन्द्र कुमार एवं महेश कुमार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उपरोक्तानुसार वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व उपरोक्तानुसार वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

Authenticated Document

7. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करते हुए कथन किया कि कम्पनी विशुद्ध रूप से ऑनलाईन प्रशिक्षण का कार्य करती थी। निवेश के लिए कभी किसी से कोई राशि नहीं ली गई तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

8. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

9. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिए गए कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में परिवादी लालचंद पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। परिवादी की ओर से अपने परिवाद में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई कथन नहीं किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण गवाहान भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। जिन गवाहान की ओर से सकारात्मक कथन किए गए हैं उनकी ओर से अभियुक्तगण को जानने से इनकार किया गया है। अन्य गवाहान की ओर से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। राशि दिए जाने की कोई रसीद पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। अभियुक्तगण को केवल मात्र निदेशक होने के कारण अभियुक्त बनाया गया है। कम्पनी को भी किसी रूप में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। बिना कम्पनी को अभियुक्त बनाए धारा 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम का अपराध साबित हुआ नहीं माना जा सकता। लिहाजा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

11. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने दिसम्बर, 2008 के पश्चात मौजा हरिपुरा में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में अलग अलग व्यक्तियों से राशि जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया?

2. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया?

3. यदि, हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

12. विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ विवेचन किया जा रहा है।

–प्रारम्भिक पृष्ठभूमि–

13. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी का प्रारम्भ परिवाद प्रदर्श पी. 01 से होता है, जिसमें परिवादी लालचंद काजला ने सुरेंद्र कुमार मान व इंद्रा देवी के माह दिसम्बर, 2008 में उसके घर आने व प्रिया परिवार होम स्टडी कम्पनी ज्वाईन करने के लिए कहने व कुछ दिन पश्चात तेजपाल नूनियां के साथ उक्त दोनों आने व कम्पनी में जुडने पर लाभांश का झांसा देने पर परिवादी द्वारा 47,200/– रूपये अभियुक्तगण को दिए जाने एवं अभियुक्तगण द्वारा कोई राशि नहीं लौटाने पर परिवाद पेश किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया है।

–अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण–

14. अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी लालचंद काजला पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ कथनों में वर्ष 2008 में प्रिया परिवार से सुरेंद्र के कहने पर 11,800/– रूपये के चार बॉण्ड स्वयं, पत्नी संतोष, पुत्रवधु पूनम एवं पुत्र राजेश के नाम से खरीदने, सारे रूपये वगैरह सुरेंद्र को ही जमा करवाए जाने, सुरेंद्र द्वारा रूपये हड़प लेने व धोखाधड़ी करने, ना तो चार गुना रूपये व ना ही मोटरसाइकिल मिलने की साक्ष्य दी है। प्रकरण का परिवादी पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसके द्वारा अभियोजन वृतांत की ताईद नहीं की गई है। इसी प्रकार अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 02 पूनम, पी.डब्ल्यू. 08 पितरपाल, पी.डब्ल्यू. 13 मनोहर लाल, पी.डब्ल्यू. 14 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 17 अंकित, पी.डब्ल्यू. 20 रमाकांत, पी.डब्ल्यू. 21 बनारसी, पी.डब्ल्यू. 22 दिनेश कुमार भी पक्षद्रोही हुए हैं, जिनके द्वारा अभियोजन वृतांत की ताईद नहीं की गई है। अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 07 मायावती, पी.डब्ल्यू. 09 लियाकत अली,

पी.डब्ल्यू. 10 अनिता, पी.डब्ल्यू. 11 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 12 सुमन कुमारी, पी. डब्ल्यू. 16 खेमचंद, पी. डब्ल्यू. 18 किशोर देवी, पी. डब्ल्यू. 19 विजय सिंह एवं पी. डब्ल्यू. 24 सज्ञना ने अपने सशपथ कथनों में सारतः एक दूसरे के अनुरूप ही कथन करते हुए प्रिया परिवार के एजेंण्ट से परिवार के सदस्यों के नाम पर 6800/– रूपये या भिन्न राशि के बॉण्ड खरीदे जाने, कुछ समय बाद लाभांश मिलने, समय पूर्ण होने के बाद भी उन्हें उनकी मूल रकम नहीं लौटाने, ना ही कोई लाभांश या कार देने ना ही कम्प्यूटर शिक्षा देने तथा उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके रूपये हड़प लेने के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 रणवीर एवं पी.डब्ल्यू. 04 अशोक कुमार ने दिनांक 27.08.2012 को पुलिस उपअधीक्षक वृत्त, झुंझुनूं के कार्यालय में पदस्थापित होते हुए अनुसंधान अधिकारी भंवरलाल, आर.पी.एस. द्वारा मुस्तगीस लालचंद की ओर से पेश किए गए चार बॉण्ड को जब्त कर फर्द जब्ती बनाए जाने बाबत साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 जयप्रकाश ने सन् 2006 में कम्प्यूटर सेंटर चलाने के लिए महेश कुमार व अन्य से बिल्डिंग किराये पर लेने व कोर्स कराने बाबत कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 06 महेश कुमार ने अपने सशपथ बयानों में सन् 2006 में कम्प्यूटर सेंटर चलाने हेतु बिल्डिंग किराये पर लेने व आरएससीआईटी एवं एनडीएससी का कोर्स करने बाबत साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू. 14 सुरेंद्र कुमार ने दिनांक 22.05.2015 को सीओ सिटी कार्यालय में पदस्थापित होते हुए सीडी जरिए प्रदर्श पी 14 के जब्त किए जाने बाबत साक्ष्य दी है। गवाह पी. डब्ल्यू. 23 गणेश नाथ एवं पी. डब्ल्यू. 25 भंवरलाल सिसोदिया के अनुसंधान अधिकारी हैं, जिनके द्वारा अपने सशपथ बयानों में अनुसंधान बाबत की गई सिलसिलेवार कार्यवाही के संबंध में कथन किए गए हैं।

–धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का साथ साथ कारित होना–

15. प्रकरण में परिवादी की ओर से पेश परिवाद पर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या विरत करने के लिए प्रवंचित किया जाता है तो वहां छल कारित करने का अपराध घटित होता है और उस छल के अग्रसर में किसी सम्पति का आदान प्रदान होता है तो वहां छल कारित कर सम्पति प्राप्त किए जाने के रूप में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित होता है। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जिस राशि के दुर्विनियोग का आरोप है व राशि संबंधित व्यक्ति के पास विधिवत रूप से कब्जे में प्राप्त हुई हो और विधिवत रूप कब्जे में प्राप्त होने के पश्चात उस राशि का उस व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोग किया गया हो। धारा 420 व धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व परस्पर एक दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभ से ही प्रवंचित किया गया हो, वहां उस व्यक्ति के पास उस सम्पति का विधिवत कब्जा नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति को विधिवत कब्जा दिया गया तो उस व्यक्ति के लिए प्रारंभ से प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य समाहित नहीं होगा। दोनों अपराधों के आवश्यक तत्वों के अनुसार किसी भी रूप में धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व एक ही घटना के संबंध में परस्पर समान रूप से एक साथ घटित नहीं हो सकते। न्यायिक विनिश्चय **Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Anr. 2024 INSC 626** के मामले में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है किः–

> 27. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 of IPC, punishable under Section 406 of IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 of the IPC, punishable under Section 420 of the IPC.

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय के अनुसार धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किसी भी रूप में एक साथ होने योग्य नहीं है। अभियुक्त पर धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता दोनों अपराधों के करने का आरोप हैं। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 या 406 भारतीय दण्ड संहिता में से कौन से अपराध के तत्व साबित है या नहीं, इस संबंध में निर्णय के अग्रेतर भाग में पृथक–पृथक विवेचन किया जा रहा है।

– अभियुक्त द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किए जाने का तथ्य–

17. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी परिवाद प्रदर्श पी. 01 से प्रारम्भ होती है जिसमें परिवादी लालचंद ने सुरेंद्र कुमार मान एवं इंद्रा देवी से आपस में जान पहचान होने और तेजपाल नूनियां द्वारा प्रिया होम स्टडी प्रा. लि. कम्पनी खोलने और

उसके द्वारा कम्पनी में 47,200/– रूपये जमा कराने के तथ्य दर्शित करते हुए स्वयं के साथ धोखाधड़ी कारित किया जाना बताया है। परिवादी लालचंद काजला गवाह पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने सशपथ बयानों में 11,800/– रूपये के कुल 4 बॉण्ड स्वयं, अपनी पत्नी संतोष, पुत्र राजेश एवं पुत्रवधु पूनम के नाम लिए जाने के तथ्य दर्शित करते हुए रूपये सुरेंद्र को दिया जाने व सुरेंद्र द्वारा धोखाधड़ी करते किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। गवाह ने निदेशक मण्डल को राशि नहीं दिए जाने एवं स्वयं के प्रिया परिवार के अधिकारी से नहीं मिलना कहते हुए अभियुक्त महेश से नहीं मिलने एवं महेश द्वारा कोई प्रलोभन नहीं दिए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। गवाह की ओर से स्पष्टता के साथ सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति को ही रूपये दिया जाना बताया है। गवाह ने ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है कि वह राशि अभियुक्त महेश कुमार को दी गई हो। गवाह स्पष्टता के साथ अभियुक्त महेश कुमार से नहीं मिलने एवं उसके द्वारा कोई प्रलोभन नहीं दिए जाने के तथ्य से इनकार करता है। गवाह लालचंद काजला पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह की साक्ष्य से किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाह से प्रवंचना कारित कर कोई राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं है।

18. प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण गवाहान पी.डब्ल्यू. 02 पूनम, पी.डब्ल्यू. 08 पितरपाल, पी.डब्ल्यू. 13 मनोहर लाल, पी.डब्ल्यू. 14 शीशराम, पी.डब्ल्यू. 17 अंकित, पी.डब्ल्यू. 20 रमाकांत, पी.डब्ल्यू. 21 बनारसी, पी.डब्ल्यू. 22 दिनेश कुमार भी पक्षद्रोही हुए हैं, जिनके द्वारा अभियोजन वृतांत की ताईद नहीं की गई है।

19. गवाह पी.डब्ल्यू. 05 जयप्रकाश एवं पी.डब्ल्यू. 06 महेश कुमार अपने सशपथ बयानों में कम्प्यूटर सेण्टर से संबंधित कथन करते हैं।

गवाहान की ओर से किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किए गए हैं।

20. गवाहान पी.डब्ल्यू. 07 मायावती, पी.डब्ल्यू. 10 अनिता, पी.डब्ल्यू. 11 पूनम देवी, पी.डब्ल्यू. 12 सुमन कुमारी, पी.डब्ल्यू. 18 किशोर देवी एवं पी.डब्ल्यू. 24 सज्ञना ने एक दूसरे के अनुरूप कथन करते हुए प्रिया परिवार कम्पनी में राशि जमा कराए जाने और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राशि नहीं मिलने के तथ्य दर्शित किए गए हैं, लेकिन जिरह में उक्त गवाहान ने कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने व कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करने के तथ्यों को स्पष्टता के साथ स्वीकार करती हैं। इन गवाहान की ओर से अपनी जिरह में कम्पनी के निदेशकों से नहीं मिलने और कम्पनी द्वारा उनके साथ कोई धोखाधड़ी कारित नहीं करना कहती है, वहां केवल मात्र राशि कम्पनी में जमा कराए जाने के तथ्य के आधार पर किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार या इनके जरिए कोई अन्य व्यक्ति द्वारा गवाहान के साथ प्रवंचना कारित होना साबित हुआ नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाहान की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिसके आधार पर यह तथ्य साबित हो सके कि गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई गई है। यदि वास्तविक रूप से गवाहान की ओर से कम्पनी में कोई राशि जमा करवाई जाती तो राशि जमा करवाए जाने के संबंध में गवाहान की ओर से अवश्य ही कोई रसीद आदि पेश की जाती, जो कि गवाहान की ओर से पेश नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाहान को प्रवंचना दी जाकर कोई राशि प्राप्त की गई हो ऐसा कोई भी तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता है।

21. गवाह पी.डब्ल्यू. 09 लियाकत अली ने अपने सशपथ बयानों में तेजपाल, सुरेंद्र एवं महेश नूनियां द्वारा प्रिया परिवार कम्पनी में चलाने,

उनके बताने पर उसके लड़के अदरीश द्वारा कम्पनी में 6800/– रूपये जमा करवाने एवं कम्पनी के निदेशक एवं महेश को भी नहीं जानने एवं रूपये आज तक नहीं मिलने बाबत कथन किए हैं। जिरह में गवाह ने रूपये सलीम व गिरधारी नामक व्यक्ति को दिए जाने व उक्त दोनों के अभियुक्त होने व अभियुक्त महेश कुमार से नहीं मिलने एवं अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई प्रलोभन नहीं दिए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। इस गवाह की ओर से प्रथमतः तो अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किए गए है। द्वितीयतः गवाह ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के कहने पर उसके लड़के द्वारा अदरीश द्वारा रूपये जमा करवाने बाबत कथन किए हैं, परंतु उक्त गवाह जिरह में रूपये सलीम एवं गिरधारी को दिया जाना बताता है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य में राशि जमा करवाए जाने बाबत गम्भीर विरोधाभास है जो कि गवाह की साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है और गवाह की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती है। गवाह जिन व्यक्तियों को राशि जमा करवाया जाना बताता है, उक्त दोनों ही व्यक्ति प्रकरण में अभियुक्त नहीं हैं। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई भी तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता है।

22. अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 16 खेमचंद एवं पी.डब्ल्यू. 19 विजय सिंह की ओर से अपने सशपथ न्यायालय बयानों में प्रिया परिवार कम्पनी के संचालक व निदेशक तेजपाल नूनियां, सुरेंद्र नूनिया व महेश नूनियां के कहने पर 6800/– रूपये प्रत्येक के अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमा करवा कर बॉण्ड खरीदने व तेजपाल, सुरेंद्र एवं महेश द्वारा मूल रूपये एवं लाभांश नहीं देने बाबत साक्ष्य दी है। जिरह में गवाहान ने अभियुक्त महेश कुमार को कोई रूपये नहीं दिए जाने व महेश से कोई बात नहीं होने एवं महेश द्वारा कोई प्रलोभन एवं लालच नहीं दिए जाने के तथ्य दर्शित करते हुए महेश से कभी नहीं मिलने एवं महेश को

Authenticated Document

पहचानने तक के तथ्य से इनकार करते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 19 विजय सिंह ने राशि कर्मचारी नरेंद्र सिंह को जमा करवाने एवं रसीद पत्रावली में जमा नहीं करने बाबत कथन किए हैं। गवाहान की ओर से मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताया है लेकिन गवाह की ओर से राशि जमा करवाए जाने के संबंध में किसी भी रूप में कोई भी दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है जिसके आधार पर मौखिक कथन स्वीकार योग्य माना जाये कि उनकी ओर से कोई राशि प्रिया परिवार कम्पनी में जमा करवाई गई। स्वयं गवाह पी.डब्ल्यू. 19 विजय सिंह जिरह में राशि नरेंद्र सिंह को दिया जाना बताता है जो कि स्वीकृत रूप से गवाह की साक्ष्य को संदिग्धता प्रदान करता है क्योंकि गवाह मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताता है।

23. इसके अतिरिक्त परिवादी के अलावा अन्य गवाहान की ओर से न केवल अपनी मुख्य परीक्षा के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, बल्कि ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं कि इन गवाहान की ओर से अपने साथ हुई घटना/धोखाधड़ी बाबत कोई रिपोर्ट पेश की गई हो। यदि वास्तविक रूप से इन गवाहों के साथ किसी प्रकार की कोई प्रवंचना कारित की गई होती तो इन गवाहों की ओर से भी अवश्य ही अपने साथ हुई घटना की कोई रिपोर्ट दी जाती। गवाहों द्वारा अपने साथ हुई घटना की कोई रिपोर्ट पेश नही किया जाना भी इस तथ्य को संदिग्ध बनाता है कि वास्तव में इनकी ओर से कोई राशि अभियुक्त को दी गई हो। घटना की कोई रिपोर्ट इन गवाहों द्वारा नही दिया जाना भी गवाहों के स्वाभाविक आचरण के विपरित तथ्य को दर्शित करता है।

24. उपरोक्त विवेचनानुसार परिवादी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, अन्य गवाहों की ओर से केवल मात्र मौखिक कथन किये गये है, किसी प्रकार के दस्तावेज राशि जमा करवाये जाने बाबत पेश नहीं किये है, अपने साथ हुई घटना की कोई रिपोर्ट नहीं दी है, वहां किसी भी रूप में

अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित करते हुए राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है।

– आपराधिक न्यास भंग का तथ्य –

25. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें परिवादी एवं शेष गवाहों की साक्ष्य से पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जब अभियुक्त महेश कुमार द्वारा राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा न्यस्त राशि के दुर्विनियोग का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

–धन परिचालन स्कीम को संपरिवर्तित/संचलित करना, सामग्री का प्रकाशन आदि व इस हेतु निदेशक का दायित्व–

26. अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के संबध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 23 गणेश नाथ द्वारा अपने सशपथ कथनों में धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत अपराध प्रमाणित माने जाने के संबंध में कथन किए हैं। धारा 3 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत कोई व्यक्ति इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का सम्प्रवर्तन या संचालन नहीं करेगा या ऐसी किसी चिट या स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज नहीं करायेगा या उसमें अन्यथा भाग नहीं लेगा या ऐसी चिट स्कीम के अनुसरण में कोई धन प्राप्त नहीं करेगा या प्रेषित नहीं करेगा। इस धारा के तहत अपराध के पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी चिट या स्कीम को संचालित करे या कराए या उसमें सदस्य के रूप में भाग ले या कोई धन प्राप्त करे या कराए। परिवादी व अन्य गवाहों के शपथ कथन पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में प्रवंचना के तथ्य को साबित करने के लिए

पर्याप्त नहीं है, वहां ऐसे कथनों के आधार पर किसी रूप में यह तथ्य भी साबित हुआ नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन किया हो। जब अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन करना या करवाना साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा कोई धन प्राप्त करना या करवाना या ऐसी किसी स्कीम में शामिल होने का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

27. अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 25 भंवरलाल सिसोदिया की ओर से दौराने अनुसंधान बॉण्ड जप्त किया जाना बताया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं होता जो बॉण्ड अनुसंधानकर्ता की ओर से जब्त किया जाना बताया गया है, वह बॉण्ड किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार की ओर से ही तैयार किया गया हो या उसका प्रकाशन अभियुक्त महेश कुमार की ओर से ही किया गया हो या बॉण्ड अभियुक्त द्वारा ही जारी किया गया हो।

28. जब अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम के रूप में कोई दस्तावेज तैयार किया गया हो, वहां किसी भी रूप में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम हेतु कोई दस्तावेज तैयार किए गए हो।

29. अनुसंधानकर्ता की ओर से किसी भी रूप में कम्पनी को आरोपी नहीं बनाया गया है, दौराने अनुसंधान कम्पनी को नामित करते हुए अपराध प्रमाणित पाया हो, ऐसा कोई तथ्य अनुसंधानकर्ता की ओर से दर्शित नहीं किया गया है, अभियुक्त द्वारा परिवादी व अन्य सदस्यगण को इनामी चिट फण्ड आदि के लिए प्रेरित करने का कोई भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अभियुक्त किसी प्रकार की स्कीम का प्रकाशन संबंधी दस्तावेज प्रकाशित किए जाने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है और

कम्पनी को किसी रूप में आरोपी के रूप में नामित किया गया हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, वहां किसी रूप में कम्पनी के निदेशक या अन्य प्राधिकार के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं माना जा सकता।

–निष्कर्ष–

30. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से यह तथ्य किसी रूप में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त महेश कुमार ने दिसम्बर, 2008 में मौजा हरिपुरा में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में अलग अलग व्यक्तियों से रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया एवं अभियुक्त प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया। लिहाजा अभियुक्त महेश कुमार को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

31. परिणामतः परिणामतः अभियुक्त महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी नूनियां गोठड़ा, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनूं (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध अंतर्गत धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

32. निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया ।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

YOGESH KUMAR
Digitally signed by YOGESH KUMAR